भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

भारतीय रेल में उपनगरीय रेलगाड़ी सेवाऐं

संघ सरकार (रेलवे)

2016 की प्रतिवेदन संख्या 14

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में भारतीय रेलवे में उपनगरीय रेलगाड़ी सेवाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वह है जो 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे तथा वह जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे किन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई थी।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर रेल मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

विषय सूची

	पैराग्राफ	*पृष्ठ*
संकेताक्षरों की सूची		i
कार्यकारी सार		ii से iv
अध्याय 1: प्रस्तावना		
संगठनात्मक ढांचा	1.1	1
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	2
लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र कार्यप्रणाली और नमूना चयन	1.3	2
लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत	1.4	3
आभार	1.5	3
अध्याय 2: उपनगरीय रेलगाडियों की सेवाओं का परिचालन		
यातायात वृद्धि- लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि	2.1.	8
उपनगरीय ट्रेनों का समय पालन	2.2	8
यात्रियों की मृत्यु	2.3	10
गति प्रतिबंध	2.4	14
चलस्टाक की स्थिति	2.5	19
अवसंरचना संवर्धन	2.6	27
अध्याय 3: उपनगरीय यात्रियों को सुविधाएं		
अपूर्ण यात्री सुविधाएं	3.1	31
नगरीय खण्ड में यात्रियों की सुरक्षा	3.2	37
उपनगरीय खण्ड में महिला यात्रियों की सुरक्षा	3.3	39
जन शिकायतें	3.4	39
अध्याय4: उपनगरीय रेलगाड़ी सेवाओं का वित्तीय निष्पादन		
परिचालन लागत की तुलना में आय	4.1	42
ऊर्जा दक्ष ईएमयू का विकास	4.2	45
उपनगरीय किराया संरचना	4.3	45
निष्कर्ष	4.4	45
सिफारिशें	4.5	46